अनुसूची–I {मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 के अनुसार}

स.क्रं.	आवेदन का विषय	प्रस्तावित प्रभार (रूपयों में)
1.	उत्पादन टैरिफ अवधारणा हेतु आवेदन	
(क)	किसी भी क्षमता का परंपरागत ईंधन आधारित संयंत्र	रू. 5,000/– (रू. पाँच हजार) प्रति वर्ष प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश
(ख)	जल विद्युत संयंत्र, जिनकी क्षमता 25 मेगावाट से अधिक हो	रू. 5,000/– (रू. पाँच हजार) प्रति वर्ष प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश
(ग)	किसी भी क्षमता के गैर–पारम्परिक ऊर्जा नवीकरणीय स्त्रोत, सह–उत्पादन संयंत्र को सम्मिलित करते हुए	रू. 2,000/– (रू. दो हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश, जो न्यूनतम रूपये 10,000/– (रू. दस हजार) प्रति आवेदन के अध्यधीन होगा
(घ)	25 मेगावॉट अथवा इससे कम क्षमता के जल आधारित संयंत्र	रू. 2,000/– (रू. दो हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का कोई अंश, जो न्यूनतम रूपये 20,000/– (रू. बीस हजार) प्रति आवेदन के अध्यधीन होगा
(ङ)	प्रावधिक (provisional) विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)
2.	पारेषण विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु आवेदन	रू. 400/– (रू. चार सौ) प्रति वर्ष प्रति एक मिलियन यूनिट अतिरिक्त उच्च दाब प्रणाली में ऊर्जा प्रदाय अथवा उसका अंश
3.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु याचिका	रू. 500/– (रू. पाँच सौ) प्रति वर्ष प्रति एक मिलियन यूनिट अतिरिक्त उच्च दाब प्रणाली में ऊर्जा प्रदाय ऋण अति उच्च दाब प्रणाली में पारेषण हानियां
4.	ग्रामीण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु याचिका	रू. 2,000/– (रू. दो हजार)
5.	विद्युत उत्पादन कम्पनी/अनुज्ञप्तिधारी /मान्य योग्य अनुज्ञप्तिधारी/व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त है, द्वारा प्रस्तुत विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के पुनरीक्षण के लिये	इस अनुसूची में निर्दिष्ट विषयगत याचिका शुल्क का 25% या रू. 25,00,000/– (रू. पच्चीस लाख) जो भी अधिक हो
6.	ऐसा व्यक्ति, जो उपरोक्त सरल क्रमांक 5 के अन्तर्गत सम्मिलित न हो, द्वारा विद्युत दर आदेश की समीक्षा हेतु प्रस्तुत याचिका	रू. 10,00,000/– (रू. दस लाख)
7.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 (1) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय करने हेतु अथवा धारा 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति से विमुक्ति हेतु आवेदन शुल्क	रू. 5,00,000/– (रू. पाँच लाख) (अपर्त्यणीय)/ (Non- Refundable) दिनांक 07.06.2012 को राज्य सरकार द्वारा विहित, समय–समय पर संशोधन सहित
8.	राज्यान्तरिक व्यापार (Intra-State Trading) अनुज्ञप्ति हेतु वार्षिक शुल्क	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 की कण्डिका 7.2 के अनुसार, समय–समय पर संशोधन सहित

स.क्रं.	आवेदन का विषय	प्रभार (रूपयों में)
9.	राज्यान्तरिक व्यापार (Intra-State Trading) अनुज्ञप्ति को छोड़कर, अनुज्ञप्ति हेतु वार्षिक शुल्क	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)
10.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संशोधन हेतु आवेदन	
(क)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा	रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख)
(ख)	अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)
11.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण हेतु।	
(क)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा	रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख)
(ख)	अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)
12.	समस्त छूट प्राप्त व्यक्तियों द्वारा देय वार्षिक शुल्क जिन्हें अनुज्ञप्ति की स्वीकृति से छूट प्रदान की गई है	ऐसा शुल्क जो आवेदन/याचिका प्रस्तुति अथवा किसी उपयुक्त प्रकरण के समय प्रत्येक आवेदन हेतु पृथक से निर्दिष्ट किया जाए या फिर जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए
13.	न्यायालयों अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन।	रू. 1,000/– (रू. एक हजार) प्रति दिवस (तीन घंटे से अधिक नहीं)
14.	न्यायालयीन अभिलेखों से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन	रू. 20/– (रू. बीस) प्रति पृष्ठ
15.	अन्तर्वादीय (Interlocutory) आवेदन दाखिल करना	रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार)
16.	दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय अनुबन्ध का अनुमोदन। दीर्घकालीन से अभिप्रेत है एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि	
(क)	किसी भी क्षमता के परंपरागत ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयंत्र	रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसके अंश [उच्चतम रू. 15,00,000/– (रू. पंद्रह लाख)]
(ख)	25 मेगावॉट अथवा इससे अधिक क्षमता के जल विद्युत संयंत्र	रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसके अंश [उच्चतम रू. 15,00,000/– (रू. पंद्रह लाख)]
(ग)	किसी भी क्षमता के ऊर्जा के गैर–परंपरागत तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्त्रोत	रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार) प्रति मेगावॉट अथवा उसके अंश, [न्यूनतम रू. 1,00,000/– (एक लाख) अधिकतम रू. 7,50,000/– (रू. सात लाख पचास हजार)।]
(घ)	25 मेगावॉट अथवा इससे अधिक क्षमता के जल विद्युत संयंत्र	रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार) प्रति मेगावॉट अथवा उसके अंश, [न्यूनतम रू. 1,00,000/– (एक लाख) अधिकतम रू. 7,50,000/– (रू. सात लाख पचास हजार)।]

स.क्रं.	आवेदन का विषय	प्रभार (रूपयों में)
17.	लघुकालीन ऊर्जा क्रय अनुबंध समस्त स्त्रोतों से (लघुकालीन से अभिप्रेत है, एक वर्ष से कम की अवधि)	रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार) प्रति अनुबंध
18.	विवादों का निपटान हेतु याचिका, जो विद्युत अधिनियम 2003 एवं तत्संबंधी निर्दिष्ट विनियमों के अन्तर्गत आते हैं, के संबंधित याचिका	
(क)	जो किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये जाएं या विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा जो ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोतों का उपयोग करती हो	रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख)
(ख)	जो किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये जाएं या जो ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्त्रोतों का उपयोग करती हो	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)
(ग)	जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जो किसी आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र का स्वामी हो	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)
(घ)	ऐसा कोई प्रकरण जिसकी गणना अधिनियम की धारा 86(1)(च) के अन्तर्गत की जाए, को किसी निर्णायक (arbitrator) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए	निर्णायक को देय शुल्क राशि, यदि कोई हो, को पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा
19.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अधीन अग्रिम अनुमोदन प्राप्ति हेतु आवेदन	रू. 7,50,000/– (रू. सात लाख पचास हजार)
20.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 35 के अधीन अन्तर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन	रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख)
21.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 35 के परन्तुक के अधीन अधिशेष क्षमता की मात्रा के निर्धारण हेतु विवाद का न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निपटान के लिये प्रस्तुत की गई याचिका विषयक	रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख)
22.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 36 की उप–धारा 36 के परन्तुक के अधीन, शुल्कों (दरों), प्रभारों, निबंधनों एवं शर्तों के अवधारण हेतु आवेदन	रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख)
23.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162(2) के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षक अथवा किसी विद्युत निरीक्षक के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील के अन्तर्गत।	रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार)
24.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप–धारा के अधीन (सड़कों की खुदाई, रेलवे आदि) उद्भूत किसी विवाद के प्रकरण में प्रस्तुत की गई याचिका के बारे में।	रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार)
25.	विद्युत–दर के सत्यापन हेतु आवेदन यदि यह पृथक याचिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए	रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख)
26.	अन्य कोई आवेदन या याचिका जो विशिष्ट रूप से उपरोक्त उल्लेखित किसी उपबन्धों के अधीन नहीं आते हों	रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार)

स.क्रं.	आवेदन का विषय	प्रभार (रूपयों में)
27.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन विद्युत–दर (टैरिफ) को अंगीकार (adopt) करने के बारे में आवदेक के लिये शुल्क।	रू. 10,00,000/– (रू. दस लाख)
28.	उपरोक्त सरल क्रमांक 18, 21, 24 तथा 26 के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका से संबंधित किसी आदेश/निर्णय या दिशा–निर्देश के बारे में समीक्षा हेतु (जहां तक कि इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से याचिका से है) प्रस्तुत की गई याचिका।	इस याचिका में विषयान्तर्गत विनिर्दिष्ट याचिका शुल्क का 25% अथवा रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार) इनमें से जो भी अधिक हो
29.	उपरोक्त सरल क्रमांक 7 से 26 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन के बारे में (सरल क्रमांक 28 में उल्लेखित सरल क्रमांकों को छोड़कर) से संबंधित किसी आदेश/निर्णय या दिशा–निर्देश के बारे में पुनर्विचार हेतु किसी आवेदन हेतु	इसी अनुसूची के अन्तर्गत कथित सरल क्रमांक के विरूद्ध निर्दिष्ट की गई शुल्क राशि के बराबर